मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी
(प्रतिपूरक (नगर) भत्ता)
विनियम, 1975.

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी
(प्रतिपूरक (नगर) भत्ता)
विनियम, 1975.

वि ष य व स्तु

विनियम			पृष्ठ
01.	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	......	
02.	विस्तार/प्रयुक्ति	.....	
03.	परिभाषाएँ	.....	
04.	भत्ते के लिए पात्रता और उसकी दरें	.....	
05.	विभिन्न परिस्थितियों में भत्ते का नियमन	.....	
	क) अवकाश	.....	
	ख) प्रशिक्षण के लिए भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति	.....	
	ग) भारत में प्रशिक्षण	.....	
	घ) निलंबन	.....	
	ङ) पुनर्नियुक्ति	.....	
06.	जिन मामलों के लिए इन विनियमों में कोई निश्चित प्रावधान नहीं किया गया है, ऐसे मामलों में सरकारी आदेशों की प्रयुक्ति	.....	
07.	रद्द करना और बनाए रखना	.....	

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी
(प्रतिपूरक (नगर) भत्ता)
विनियम्र, 1975.

प्रमुख बंदरगाह अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के खंड (बी) और (ई) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और (कथित) विषय पर वर्तमान विनियमों का अतिक्रमण करके मुंबई बंदरगाह विश्वस्त मंडल धारा 124 की उपधारा (i) की आवश्यकतानुसार केंद्र सरकार का अनुमोदन लेकर निम्नलिखित विनियम बनाता है. यह विनियम धारा 124 की उपधारा (ii) की आवश्यकतानुसार सरकारी राजपत्र के दो क्रमिक अंकों में पहले प्रकाशित किए जा चुके हैं.

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** - (1) ये विनियम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (प्रतिपूरक (नगर) भत्ता) विनियम, 1975* कहलाए जाय.

   (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उन्हें सरकार की मंजूरी प्रकाशित होने की तथि** से लागू होंगे.

2. **विस्तार** - इन विनियमों में अन्यथा प्रावधान को छोडकर ये विनियम मंडल के प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होंगे, लेकिन निम्न पर लागू नहीं होंगे -

   क) नैमित्तिक अथवा अंशकालीन सेवा में होने वाले कर्मचारी,

   ख) जिनकी मजदूरी आकस्मिक व्ययों से अदा की जाती है, वे कामगार

   ग) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा सीमित समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारी,

   घ) जिनकी नियुक्ति के मंजूरी आदेशों में वेतन के अतिरिक्त (प्रतिपूरक (नगर) भत्ते) का निश्चित प्रावधान नहीं है, ऐसे तदर्थ आधार पर अथवा वैयक्तिक वेतन दर पर नियुक्त कर्मचारी.

   ङ) प्रशिक्षु.

---

1. मंडल के दिनांक 23 सितंबर 1975 की वि.सं.सं. 542 द्वारा तथा केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी. देखिए नौवहन परिवहन मंत्रालय का दिनांक 22.12.1975 का पत्र क्र.पीईबी-(78)/75.

2. 1 जनवरी, 1976 से लागू.

3. **परिभाषाएँ** - इस विनियम में जबतक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो -

क) "मडल," "अध्यक्ष," "उपाध्यक्ष" और "विभाग प्रमुख" से क्रमशः वही अर्थ हैं जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 38) में अभिप्रेत है.

ख) "कर्मचारी" से तात्पर्य है मंडल का कर्मचारी

ग) "वेतन" से तात्पर्य - मुंपोट्र वेतन और भत्ते डाइजेस्ट, छुट्टी और निवृत्ति वेतन नियम के नौवें संस्करण की धारा 11(11) में परिभाषित वेतन से है. इस वेतन में महँगाई वेतन भी - जिन मामलों में देय है - सम्मिलित है,

घ) i) "प्रथम श्रेणी पद" से अभिप्रेत है वह पद जिसके लिए अधिकतम वेतन अथवा वेतनमान 1100 रुपये अथवा इससे अधिक है.

ii) "द्वितीय श्रेणी पद" से अभिप्रेत है वह पद जिसके लिए अधिकतम वेतन अथवा वेतनमान 650 रुपये से अधिक लेकिन 1100 रुपये से कम है.

iii) तृतीय श्रेणी पद" से अभिप्रेत है वह पद जिसके लिए अधिकतम वेतन अथवा वेतनमान 160 रुपये से अधिक लेकिन 650 रु. से कम है.

iv) "चतुर्थ श्रेणी पद" से अभिप्रेत है वह पद जिसके लिए अधिकतम वेतन अथवा वेतनमान 160 रु. अथवा इससे कम है.

ङ) इस विनियम में कुछ शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है, परन्तु परिभाषा नहीं दी गई है. उनकी परिभाषा मुं.पो.ट्र. वेतन और भत्ते डाइजेस्ट, छुट्टी तथा पेन्शन नियम के 9 वे संस्करण अथवा मुं.पो.ट्र. कर्मचारी (छुट्टी) विनियम 1975 में की गई है. इन शब्दों और अभिव्यक्तियों का वहीं अर्थ होगा जो मुंपोट्र वेतन और भत्ते डाइजेस्ट, छुट्टी तथा पेन्शन नियम 9 वां संस्करण अथवा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (छुट्टी) विनियम 1975 में बताया गया है.

4. **भत्ते के लिए पात्रता और उसकी दरें -**

1. इन विनियमों में अन्यथा प्रावधानों के अलावा कर्मचारी को "प्रतिपूरक (नगर) भत्ता" निम्न प्रकार देय होगा - यदि कर्मचारी तृतीय या चतुर्थ श्रेणी में हो, तो उसके वेतन के 10% प्रतिमाह की दर से और प्रथम व द्वितीय श्रेणी में हो, तो उसके वेतन के 10% की दर से बशर्तें कि यह अधिकतम राशि 100/- रुपये प्रतिमाह हो.

2. "प्रतिपूरक (नगर) भत्ता" विवाहित और अविवाहित दोनों कर्मचारी को दिया जाय. कर्मचारी जिस समय दूर (दौरा) पर मुंबई से बाहर गया हुआ हो, तो मुंबई में उसकी अनुपस्थिति की अवधि के लिए भी यह भत्ता दिया जाय. जहाँ पति और पत्नी दोनों मंडल के कर्मचारी हैं, उन मामलों में उन दानों को यह भत्ता उनके निजी वेतन के आधार पर - यदि भत्ता अन्यथा देय हो, तो - दिया जाय.

5. **विभिन्न परिस्थितियों में भत्ते का नियमन -**

निम्न परिस्थितियों में (प्रतिपूरक (नगर) भत्ते) का नियमन इसमें आगे दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगा.

क) अवकाश :

i) अवकाश के प्रारंभ के तुरंत पहले जिस दर से भत्ता मंजूर किया गया था, उसी दर से अवकश के दौरान भी "प्रतिपूरक (नगर) भत्ता" दिया जाय, इस संदर्भ में अवकश से तात्पर्य है - सभी प्रकार के कुल अवकाश - पर अधिक से अधिक 120 दिन और यदि प्रत्यक्ष अवकश उक्त अवधि से लंबी अवधि का है, तो अवकश के प्रारंभिक 120 दिन, परन्तु इनमें निवृत्ति पूर्व अवकाश, सेवा की अंतिम समाप्ति की दृष्टि से लिया गया अवकाश, नामंजूर अवकाश, टर्मिनल लिव अथवा बीमारी के अलावा अन्य कारणों से लिया गया असाधारण अवकाश आदि शामिल नहीं है, जब छुट्टीयाँ (हॉलिडेज) अवकाश के साथ जोडी गई हों, तो छुट्टियाँ और अवकाश मिलाकर संपूर्ण - अवधि अवकाश के एक दौर के रुप में मानी जाएगी.

टिप्पणी - जिसे चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 120 दिनों से अधिक अवधि का अवकश प्रदान किया गया है, ऐसा कोई कर्मचारी यदि बीमारी की वजह से सेवा के असमर्थ होने के कारण सेवानिवृत्त होता है, तो संपूर्ण अवकाश को निवृत्तिपूर्व अवकाश के रुप में माने जाने के बावजूद भी उस अवकाश के लिए उसे पहले ही अदा किए गए "प्रतिपूरक (नगर) भत्ते" की पुनः वसूली नहीं की जाएगी.

ii) अवकाश प्रारंभ से ही चिकित्सा प्रभाग पत्र के आधार पर है अथवा दूसरे अवकाश से बाद में जोडा गया है, इस बात का ध्यान किए बिना टी.बी., कैन्सर अथवा अन्य रोगों से पीडित कर्मचारी के लिए छुट्टी की 120 दिनों की सीमा 8 महीनों तक बढाई जाएगी.

यह प्रावधान है कि यदि अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष उचित समझें, तो वे 8 महीनों की यह सीमा उनकी दृष्टि से योग्य और अधिक अवधि तक भी बढा सकते हैं.

बशर्ते कि छुट्टी के आवेदन पत्र के साथ दिया गया चिकित्सा प्रमाणपत्र मंडल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए. होना चाहिए.

ख) **प्रशिक्षण के लिए भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति :**

प्रशिक्षण के लिए भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति कर्मचारी को उसके पद के लिए समय-समय पर लागू दर से "प्रतिपूरक (नगर) भत्ता" भारत में मंडल के अधीन उनके पद से उसकी अनुपस्थिति के पहले छः महीने तक मंजूर किया जाय.

ग) **भारत में प्रशिक्षिण :** जिस कर्मचारी को भारत में प्रशिक्षण अथवा शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्ति किया गया है और जिसकी प्रशिक्षण अथवा शिक्षा पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि को काम की अवधि माना गया है, ऐसे कर्मचारी को प्रशिक्षण अथवा शिक्षा पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि का प्रतिपूरक (नगर) भत्ता उसे समय-समय पर लागू होनेवाले दरों से अदा किया जाय.

घ) **निलंबन :** किसी निलंबित कर्मचारी को निलंबनकर्ता प्राधिकारी द्वारा बताई गई शर्तों पर प्रतिपूरक (नगर) भत्ता दिया जा सकता है. यह प्रतिपूरक (नगर) भत्ता निलंबन की तिथि पर उसका जो वेतन था, उस वेतन पर आधारित होगा.

ङ) **पुनर्नियुक्ति** : मंडल की सेवा में पुनर्नियुक्त कर्मचारी को प्रतिपूरक (नगर) भत्ता मंजूर किया जा सकता है, - बशर्ते कि -

ए) अगर कर्मचारी पेन्शन योजना द्वारा नियंत्रित है और यदि उसके वेतन अधिक (+) उसके निवृत्ति वेतन की राशि उसके पुनः नियुक्ति के पद के अधिकतम वेतन से भी ज्यादा होती है, तो ऐसे मामले में उसे देय "प्रतिपूरक (नगर) भत्ते" की गणना उसके पुनः नियुक्ति पद के अधिकतम वेतन के आधार पर की जाएगी और अन्य मामलों में प्रतिपूरक (नगर) भत्ते की गणना उसके वेतन अधिक (+) निवृत्ति वेतन की राशि के आधार पर की जाएगी.

बी) अगर कर्मचारी अंशदायी भविष्यनिधि योजना द्वारा नियंत्रित है, तो पुनः नियुक्ति के पद का वेतन - उसमें से निवृत्ति लाभ राशि (रिटायरमेंट बेनिफीट) के बराबर की निवृत्ति वेतन राशि (पेन्शनरी इक्विवैलंट) की कटौती किए बिना जितना होगा - उस वेतन के आधार पर उसके प्रतिपूरक (नगर) भत्ते की गणना की जाएगी.

6. **जिन मामलों के लिए इन विनियमों में कोई निश्चित प्रावधान नहीं किया गया है, ऐसे मामले में सरकारी आदेशों की प्रयुक्ति :**

जिन मामलों के लिए इन विनियमों में अथवा उसके अनुवर्ति संशोधनों में कोई निश्चित प्रावधान नहीं किया गया है, उनमें केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए समय-समय पर जो आदेश जारी करती है, वे आदेश - यदि वे मंडल की आवश्यकताओं के अनुकूल हैं, तो - लागू होंगे.

7. **रद्द करना और बनाए रखना** : इन विनियमों के अनुरुप और इन विनियमों के आरंभ से तुरंत पहले प्रचलित सभी आदेश एतद्वारा रद्द किए जाते हैं.

बशर्ते कि इस प्रकार रद्द किए गए आदेशों के अंतर्गत दिए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह माना जाएगा कि वह आदेश/वह कार्यवाही इन नए विनियमों के अनुरुप प्रावधानों के अंतर्गत ही दिया गया या/की गई थी.

....